मीटर–युक्त जल सम्पूर्ति प्रणाली लागू करने तथा जल के उपयोग की मात्रा के आधार पर जल मूल्य/प्रयोक्ता प्रभार की दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.8.2014 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

1– उपस्थितिः

सर्वश्री,

1. पी.के. सिंह, निदेशक/एस.एल.एन.ए., नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. राजेश कुमार त्यागी, नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
3. आर0पी0 वर्मा, महाप्रबन्धक जलकल, लखनऊ।
4. राजीव कुमार बाजपेई, महाप्रबन्धक, जलकल, कानपुर।
5. आर0बी0सिंह, महाप्रबन्धक, जलकल, इलाहाबाद।
6. बी0के0 पाण्डेय, महाप्रबन्धक, जलकल, वाराणसी।
7. वी0एन0 द्विवेदी, सचिव, जलकल, कानपुर।
8. राजेन्द्र कुमार, सचिव, जलकल, आगरा।
9. ए.के. गुप्ता, फाइनेंस आफिसर, जलकल, लखनऊ।
10. के0के0 अग्रवाल, टीम लीडर पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय।
11. आर0एन0 डे, पी0डब्लू0एण्ड पी0एच0ई0, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
12. के0पी0 सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा।
13. परमानन्द मिश्र, सहायक अभियन्ता, जलकल, नगर निगम, लखनऊ।
14. जी0एन0उपाध्याय, सहायक अभियन्ता, जलकल, नगर निगम, मेरठ।
15. राजेन्द्र प्रसाद, अवर अभियन्ता, जलकल, नगर निगम, सहारनपुर।
16. के0आर0सिंह, अवर अभियन्ता, जलकल, मथुरा।

2– पृष्ठभूमिः

सचिव (श्री श्रीप्रकाश सिंह), नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक **14.8.2014** को सम्पन्न जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.

जी. कार्यांश के अन्तर्गत 7 मिशन नगरों (आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ व वाराणसी) तथा गोरखपुर व सहारनपुर नगरों में जल के उपयोग की मात्रा के आधार पर **जल मूल्य/प्रयोक्ता प्रभार की दरों** के निर्धारण एवं इसे लागू किये जाने हेतु **माडल गाइड लाइन्स** के सम्बंध में दिनांक 7.2.2014 की बैठक में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में सम्बंधित नगर निकायों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के आधार पर निदेशक/एस.एल.एन.ए., नगरीय निकाय निदेशालय के पत्र संख्या पी0एम0यू0/568/396/वाटर मीटर्स/2012 दिनांक 13.6.2014 द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया।

2(1)– सर्वप्रथम, महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद/कानपुर द्वारा प्रस्तावित किया गया कि प्रतिवर्ष होने वाली महँगाई (पेयजल प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव के अन्तर्गत स्टाफ़, विद्युत, केमिकल्स, मशीनरी/जलाशय/नलकूप/ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के रखरखाव, आदि समस्त सम्बन्धित मदों पर वृद्धि) को देखते हुए निर्धारित की जाने वाली जल मूल्य की दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी स्वतः लागू किये जाने की व्यवस्था अनुमन्य किये जाने की आवश्यकता है। निर्देश दिये गये कि "आब्जेक्टिव" दृष्टिकोण से उक्त मदों पर गत पाँच वर्षों में हुई वास्तविक मूल्य वृद्धि के आधार पर जल मूल्य की दरों में वार्षिक वृद्धि(प्रतिशत में) के प्रस्ताव सम्बंधित जलकल विभागों द्वारा निदेशक/एस.एल.एन.ए., नगरीय निकाय निदेशालय को प्रेषित किये जाये।

{कार्यवाही: अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा/ महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ/इलाहाबाद/वाराणसी/मेरठ/कानपुर/आगरा/ सहारनपुर/ गोरखपुर}

2(2)– महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न नगरों में भूमि के 'सर्किल रेट्स' में वृद्धि किये जाने पर भवनों की "ऐन्यूवल रेन्टल वैल्यू" में समतुल्य वृद्धि न किये जाने के कारण परिणामिक वृद्धि जल–कर दरों में नहीं हो पाती है, जिससे पेयजल प्रणालियों को स्वावलम्बी बनाना सम्भव नहीं हो पाता है। निर्देश दिये गये कि इस सम्बंध में समुचित प्रस्ताव सम्बंधित जलकल विभागों द्वारा निदेशक/एस.एल.एन.ए., नगरीय निकाय निदेशालय को प्रेषित किये जाये।

{कार्यवाही: अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा/ महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ/इलाहाबाद/वाराणसी /मेरठ/कानपुर/ आगरा/ सहारनपुर/ गोरखपुर}

2(3)– जलकल विभागों द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बंधित नगरों की पेयजल प्रणाली में आपूर्तित जल की मात्रा का 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत ''सिस्टम लासेज़'' हो रहा है। निर्देश दिये गये कि ''नान्–रेवेन्यू वाटर'' की मात्रा को 20 प्रतिशत तक सीमित रखने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के दृष्टिगत पेयजल प्रणाली में आवश्यक सुधार किये जाये। जिन जलकलों में ''लीक डिटेक्शन इक्यूपमेंट'' उपलब्ध है उनके उपयोग के सम्बंध में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण निदेशक/एस.एल. एन.ए., नगरीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

{कार्यवाही: अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा/ महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ/इलाहाबाद/वाराणसी /मेरठ/कानपुर/ आगरा/ सहारनपुर/ गोरखपुर}

2(4)– महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर द्वारा प्रस्तावित किया गया कि उपभोक्ताओं द्वारा निजी स्तर पर नलकूप बोरिंग किये जाने की कार्यवाही को निषेध किये जाने की आवश्यकता है। निर्देश दिये गये कि भूगर्भ जल के अनियन्त्रित दोहन को रोके जाने हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशों/निर्देशों की प्रतियॉ भूगर्भ जल विभाग से प्राप्त करके शासन को प्रेषित की जाये जिससे इस सम्बंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जा सके।

{कार्यवाही: महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ}

2(5)– अवगत कराया गया कि कार्यालय निदेशक/एस.एल.एन.ए., नगरीय निकाय निदेशालय के पत्र संख्या पी0एम0यू0/568/396/वाटर मीटर्स/2012 दिनांक 13.6.2014 द्वारा शासन को प्रेषित किये गये प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत 9 नगरों में जल के उपयोग की मात्रा के आधार पर **जल मूल्य/प्रयोक्ता प्रभार की दरों** की गणना 100 प्रतिशत घरों में मीटर–युक्त जल संयोजन एवं 90 प्रतिशत कलेक्शन एफ़ीशियेन्सी मानते हुए तथा शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रचलित प्राविधान के अनुसार उपभोक्ता जिनके मकान की ए.

आर.वी. रू. 360/— तक है, को जल मूल्य से मुक्त रखते हुए की गयी है। महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद/सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बंधित नगरों में भवनों/जल संयोजन की संख्या उपरोक्त आगणन में दर्शायी गई भवनों/जल संयोजन की संख्या की मात्र 50–60 प्रतिशत है। निर्देश दिये गये कि उक्त जलकल विभागों द्वारा सम्बंधित नगरों में वर्ष 2014 में भवनों तथा जल संयोजनों की वास्तविक संख्या सहित प्रश्नगत "जल मूल्य/प्रयोक्ता प्रभार की संशोधित दर" के प्रस्ताव निदेशक/एस.एल.एन.ए., नगरीय निकाय निदेशालय को प्रेषित किये जाये, जिसके आधार पर कार्यालय, निदेशक/एस.एल.एन.ए., नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा "जल मूल्य/प्रयोक्ता प्रभार की दर" का संशोधित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

{कार्यवाहीः निदेशक/एस.एल.एन.ए., नगरीय निकाय निदेशालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा/ महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम,लखनऊ/ इलाहाबाद/वाराणसी /मेरठ/कानपुर/ आगरा/ सहारनपुर/ गोरखपुर}

3— निर्देश दिये गये कि

3(1) सम्बंधित नगरों के उपयुक्त क्षेत्र में जल मूल्य/प्रयोक्ता प्रभार की हैंड बिलिंग—युक्त रिमोट इलेक्ट्रानिक डेटा कलेक्शन प्रणाली लागू किये जाने का "पायलट प्रोजेक्ट" सम्बंधित जलकल विभागों द्वारा शासन को प्रेषित किये जाये।

{कार्यवाहीः अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा/ महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ/ इलाहाबाद/वाराणसी /मेरठ/कानपुर/ आगरा/ सहारनपुर/ गोरखपुर}

3(2) उक्त जलकल विभागों द्वारा सम्बंधित नगर निकायों की सदन में जलमूल्य/ न्यूनतम् प्रभार की दरों के प्रस्ताव के अनुमोदन/पारित कराये जाने की कार्यवाही की जाये। प्रस्ताव सम्बंधित नगर निकाय सदन से पारित न हो पाने की स्थिति में जलकल विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर प्रतिषेध ("रिजेक्ट") करने के लिये समुचित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

{कार्यवाहीः अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा/ महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ/ इलाहाबाद/वाराणसी /मेरठ/कानपुर/ आगरा/ सहारनपुर/ गोरखपुर}

3(3) ऐसे गिने–चुने प्रदेशों, जहॉ जल संयोजनों पर मीटर लगें है, में विभिन्न कैटेगरी के उपभोक्ताओं हेतु लागू जल–कर की दरें प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एकत्रित कराकर सारिणी के रूप में तथा समुचित विवरण सहित शासन एवं निदेशक/एस.एल.एन.ए., नगरीय निकाय निदेशालय को प्रेषित की जाय।

{कार्यवाहीः प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ}

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास विभाग (अनुभाग–2)
संख्या–1300/नौ–2–14–95सा/2014
लखनऊः दिनांक 02 सितम्बर 2014

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, सचिव(श्री श्रीप्रकाश सिंह), नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निदेशक/एस.एल.एन.ए., नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त,/महाप्रबन्धक, जलकल, नगर निगम, लखनऊ/इलाहाबाद/वाराणसी /मेरठ/कानपुर/ आगरा/ सहारनपुर/गोरखपुर ।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा।
6 टीम लीडर, नगरीय निकाय निदेशालय।
7. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,
(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।